COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

एवं अधिभाषकों हस्ताक्षर

440

न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2014 निगरानी R-848 II/14

1. चन्द्रशेखर पुत्र भूखन काछी
2. फूलवती वेवा नत्थूलाल काछी
3. हीरालाल पुत्र नत्थू काछी निवासीगण अनूपपुर बस्ती तहसील व जिला अनूपपुर म.प्र.
4. मतुवा वेवा सुखलाल काछी
5. दयाराम पुत्र सुखलाल काछी
6. रामपाल पुत्र सुखलाल काछी
7. नानवाई पुत्री सुखलाल काछी
8. मीरावाई पुत्री सुखलाल काछी निवासीगण ग्राम कुम्हारी तहसील जैतपुर जिला शहडोंल म.प्र.

--- आवेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 10-3-14 को प्रस्तुत

10-3-14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. रामखेलावन पुत्र स्व. रेवा काछी
2. कोमल प्रसाद पुत्र प्रेमलाल काछी
3. बब्बी बाई }
4. लल्ली बाई } पुत्रिया प्रेमलाल काछी
5. नानबाई }
6. रनियाबाई }
7. रामबाई वेवा गणेश काछी
8. रामलाल }
9. पुरूषोतम } पुत्र पुत्रिया स्व. गणेश काछी
10. रूकमणी }
11. अन्नू काछी सभी निवासी वार्ड कं. 15 अनूपपुर तह. व जिला अनूपपुर म.प्र.

--- अनावेदकगण

SRohini... 10-3-14

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील व जिला अनूपपुर के प्र.क. 19/अ-6/13-14 में पारित आदेश दिनांक 22-2-14 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-848-दो/2014 जिला अनूपपुर चंद्रशेखर विरूद्ध रामखेलावन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस. पी. धाकड़ एवं अनावेदक क्रमांक 1 से 8 व 10 की ओर से अभिभाषक श्री अमित भार्गव उपस्थित । आवेदक के द्वारा तहसीलदार अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 19/अ-6/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 22-02-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 10-03-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर अनूपपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर अनूपपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 10.1.19
सदस्य